

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जून 2013—ज्येष्ठ 30, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जून, 2013 (ज्येष्ठ 30, शक 1935)

क्र. 13145-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 220—रतलाम सिटी से निर्वाचित सदस्य, श्री पारस दादा के निर्वाचन के विरुद्ध उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इन्दौर में दाखिल निर्वाचन याचिका क्रमांक 06/2009 पर विचारोपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इन्दौर द्वारा श्री पारस दादा के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने के फलस्वरूप श्री पारस दादा दिनांक 20 जून, 2013 से मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं रहे. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

राजकुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.